प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 14.08.2026

कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी करने, पैसा हड़पने व मार-पीट करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में म0उ0नि0 प्रतिभा सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0248/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 351(3), 352, 115(2),61(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अकरम शाह पुत्र अख्तर अली निवासी पुरानी बाजार तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त अकरम उपरोक्त द्वारा वादी मुकदमा को गाड़ी खरीदवाने के संबंध में बात हुई थी। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा अपने साथी अष्टभुजा गिरि से वादी मुकदमा की मुलाकात करायी गयी तथा परिचय में बताया गया कि ये बैंक (महिन्द्र फाइनेंस व चोला मण्डलम) से वाहनों को खरीदकर बेचने का कार्य करते हैं। दिनांक 18.03.2026 को अभियुक्त अष्टभुजा द्वारा वादी मुकदमा को एक चारपहिया वाहन का फोटो दिखाकर बताया गया कि यह वाहन मैने खरीद लिया गया तथा यह राजस्थान यार्ड में है और वाहन की कीमत 12,50,000 रूपयें लगायी गयी। वादी मुकदमा ने दो किस्तों में 08 लाख रूपया व 25 हजार रूपया (कुल 08 लाख 25 हजार रूपये) अभियुक्त के खाते में भेज दिया तथा अभियुक्त ने शेष रकम के लिए फाइनेन्स कराने की बात बताकर वादी मुकदमा से एक ब्लैंक चेक ले लिया एवं अवैध कूटरचित रिलीज आर्डर दे दिया। अभियुक्त ने वादी मुकदमा को गाड़ी लेने के लिए राजस्थान भेजा किन्तु 04 दिन वहां रहने के बाद भी वादी मुकदमा को वाहन नहीं मिला पुनः अभियुक्त ने वादी मुकदमा को वापस बुला लिया तथा यहां आने पर गाड़ी मिल जाएगी का वादा किया। वापस गोरखपुर आने पर भी वादी मुकदमा को गाड़ी नहीं मिली तो उनके द्वारा अभियुक्त अष्टभुजा से अपना पैसा वापस मांगा गया किन्तु अभियुक्त अष्टभुजा द्वारा वादी मुकदमा के चेक के माध्यम से धोखाधड़ी में फंसाकर मुकदमा लिखवाने की धमकी दिया गया। अभियुक्त अष्टभुजा द्वारा 05.06.2026 को पैसा वापस करने के संबंध में सुलह किया गया। अभियुक्त अष्टभुजा द्वारा अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मारा-पीटा गया एवं गाली-गुफ्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त अकरम शाह पुत्र अख्तर अली निवासी पुरानी बाजार तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 303/2026 धारा 318(4),338,336(3),351(3)352,115(2),61(2) बीएनएस थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
2. म0उ0नि0 प्रतिभा सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 अभिषेक सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
4. का0 दातात्रेव सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।